भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1384
उत्तर देने की तारीखः 01.07.2019

विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं को स्वीकृति प्रदान करना

1384. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश को स्वीकृति प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी संस्थाओं के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए कोई प्रारूप नीति तैयार की गई है और यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थाओं के प्रवेश हेतु विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): वर्तमान में, विदेशी शिक्षा प्रदाताओं को भारत में उनके परिसर स्थापित करने के लिए प्रवेश और प्रचालन की अनुमति प्रदान करने वाला कोई कानून नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी (भारत और विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग के मानकों का संवर्धन और अनुरक्षण) विनियम 2016 अधिसूचित किए हैं, जिसमें भारतीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग के लिए पात्रता मापदंड और शर्तों से संबंधित रूपरेखा तैयार की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने भी भारत में तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत और विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच शैक्षिक सहयोग और ट्विनिंग कार्यक्रम के लिए मानक निर्धारित किए हैं।

इस संबंध में यूजीसी विनियम http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2016/170684.pdf पर उपलब्ध हैं। इस संबंध में एआईसीटीई मानक https://www.aicte-india.org/sites/default/files/APH%202019-20.pdf पर उपलब्ध हैं। इन विनियमों/दिशानिर्देशों का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना, छात्रों को अतिरिक्त विकल्प प्रदान करना और पाठ्यचर्या में सुधार करना और ज्ञान तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान करना है।

*****